



झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

आदेश सं.—राजभाषा/हि.प.—22/2019/249(अनु०)/रा० राँची, दिनांक : 27 दिसंबर, 2019
दिनांक 11.08.2019 को सम्पन्न राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों में से संलग्न सूची में नामित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।



27.12.19
(करुणानन्द तिवारी)
उपनिदेशक

आदेश सं.—राजभाषा/हि.प.—22/2019/249(अनु०)/रा० राँची, दिनांक : 27 दिसंबर, 2019
प्रति, नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सॉफ्ट प्रति में झारखंड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ दी जाती है।


27.12.19
(करुणानन्द तिवारी)
उपनिदेशक

आदेश सं.—राजभाषा/हि.प.—22/2019/249(अनु०)/रा० राँची, दिनांक : 27 दिसंबर, 2019
प्रति, सभी सम्बद्ध विभाग/सभी सम्बद्ध विभागाध्यक्ष/आरक्षी महानिदेशक/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, झारखंड विधान सभा/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सभी उपायुक्त/सभी सम्बद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, राजभाषा/स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नई दिल्ली/सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ दी जाती है। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सम्बद्ध सभी सरकारी सेवकों तथा कार्यालयों को दे दी जाय तथा उत्तीर्ण सरकारी सेवकों की सेवापुस्त में इसकी प्रविष्टि कर दी जाय। इस परीक्षाफल को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के वेबसाइट <http://dopjharkhand.gov.in> पर देखा जा सकता है एवं परीक्षार्थी के उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

2. अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि अपनी उत्तरपुस्तिका का अवलोकन करना चाहते हों, तो वे कार्यालय अवधि में दिनांक 10 जनवरी, 2020 तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची के चतुर्थ तल पर अवस्थित कमरा संख्या-423 में एतदर्थ आवेदन के साथ उपस्थित होकर अपनी उत्तरपुस्तिका निःशुल्क देख सकते हैं।


27.12.19
(करुणानन्द तिवारी)
उपनिदेशक